फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अरांई मुकाम अराईं (अजमेर)

• कमला पत्नी रघुनाथ जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.व अन्य। –प्रार्थी

बनाम

• धीसा पुत्र बालू जाति जाट, निवासी ग्राम बींजरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर जयपुर राजस्थान अन्य। –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 59 / 2023
ऑनलाइन नंबर 2023 / 129

वकील प्रार्थी :– योगेश शर्मा

वकील अप्रार्थीगण रामनिवास बैरवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.08.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.09.2023 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
15/9/2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणों के तामिलशुदा सम्मन प्राप्त हो शामिल मिसल। अप्रार्थी 01, 03, 07, 12, 18 उप. होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। P.O.M. [illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 29/09/2023 को पेश हो। अप्रार्थी 01 व 05 की ओर से वकील श्री रामनिवास [illegible] वकालतनामा पेश किया [illegible]। पत्रावली दिनांक 29/09/2023 को पेश हो।	(12) मुन्नीराम (1) धीसा (18) धन्ना (3) [illegible] (7) [thumb impression] [illegible]
29/9/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / जवाब.......हेतु समय चाहा/वास्ते जवाब..पत्रावली दिनांक 31/10/23...को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
59/2025 कमला v/s धीमा	
14/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी अनु० है तथा अप्रार्थी० 01 से 22 भी अनुपस्थित है, इन्हे प्रोपर तामिल हो चुकी है। वकील अप्रार्थी तथा अप्रार्थीगणों को तीन-तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनु० है अतः सभी अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस अन्तिम हेतु पत्रावली 07/5/2025 को पेश हो।	
उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	
07/5/2025 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थना-पत्र धारा 128 LR Act पर बहस सुनी गई। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से बनाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो जाकर दफ्तर दाखिल हो।	
उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 59/2023 उनवान कमला बनाम घीसा ::

1. कमला पत्नी रघुनाथ
2. प्रधान पुत्र रघुनाथ
3. रणजीत पुत्र रघुनाथ
4. किशनलाल पुत्र पांचू
5. गोपाल पुत्र पांचू
6. गोरधन पुत्र पांचू
7. मदनलाल पुत्र पांचू
8. रतनलाल पुत्र पांचू
9. घीसा पुत्र सुजा
10. जीवराज पुत्र रामधन
11. नन्दलाल पुत्र रामधन
12. मोहनी पत्नी रामधन
13. नाथू पुत्र किशनलाल
14. रामप्यारी पत्नि श्रवण
15. रामा पुत्र हीरा
16. श्योराज पुत्र हीरा
17. श्रवण पुत्र हीरा

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. घीसा पुत्र बालू जाति जाट निवासी ग्राम बींजरवाडा
2. गणेश पुत्र रामलाल
3. नारायण पुत्र लादू
4. पुखराज पुत्र रामलाल
5. बाली पत्नी स्व. रामलाल
6. मूला पुत्र संवाई
7. श्रवण पुत्र संवाई
8. स्याणी पत्नी रघुनाथ
9. हीरा पुत्र रामचन्द्र
10. कमला पत्नी स्व. मूलाराम
11. बालूराम पुत्र घीसा
12. मुनिराम पुत्र घीसा
13. रघुनाथ पुत्र घीसा

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

14. रामकन्या पत्नी हरदीन
15. रामदयाल पुत्र धीसा
16. हेमराज दत्तक पुत्र हरदीन
17. गोरधन पुत्र रिधकरण
18. धन्ना पुत्र रिधकरण
19. बद्री पुत्र रामकरण
20. लक्ष्मण पुत्र रामकरण
21. लाली पत्नी धीसा

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

22. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u>

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 09.05.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 25.08.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 59/2023 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त, खातेदारी व आधिपत्य की भूमि ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील अरांई में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 137 रकबा 3.6810 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 139 रकबा 4.4900 हैक्टैयर है जो कि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिसके चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि है जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 21 एवं परिवारजन प्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीगणों की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार अरांई के समक्ष पेश किया था जिसपर पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा दिनांक 21.06.2019 को सीमाज्ञान किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण कृषि कार्य कर रहें है किन्तु सीमाज्ञान होने के बावजूद अप्रार्थीगण उक्त भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है।
2. प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मोतीपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील अरांई में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 137 रकबा 3.6810 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 139 रकबा 4.4900 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

3. दिनांक 15.09.2023 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से वकील श्री रामनिवास बैरवा ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 09,07,12,18 उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा किन्तु दिनांक 12.04.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 12.04.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 09.05.2024 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया तथा प्रकरण में पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 137, 139 के संयुक्त खातेदार है तथा उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी आराजी संख्या खसरा संख्या 137 रकबा 3.6810 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 139 रकबा 4.4900 हैक्टैयर को स्वीकार किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि आराजी ग्राम ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील अरांई में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 137 रकबा 3.6810 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 139 रकबा 4.4900 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस जमा करवाने पर वाद ग्रस्त भूमि ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील अरांई में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 137 रकबा 3.6810 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 139 रकबा 4.4900 हैक्टैयर का वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उभयपक्षकारान को नोटिस जारी कर उक्त आराजी का नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाये जाकर आज दिनांक 09/5/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई, (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)